क्रम संख्या– 159(क–2)

पंजीकृत संख्या–डी0एन0/30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 26 अक्टुबर, 2006 ई0
कार्तिक, 04 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 842/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006
देहरादून, 26 अक्टुबर, 2006

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2006 को दिनांक 26 अक्टुबर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तंराचल अधिनियम संख्या 14 सन 2006 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006

{अधिनियम संख्या 14 वर्ष 2006}

उत्तराखण्ड राज्य की व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण के नियमन तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के 57वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग— 1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2006 है। (2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
लागू करना	2.	यह अधिनियम, विधि द्वारा स्थापित राज्य पोषित विश्वविद्यालयों, परिषदों अथवा अन्य निकायों से सम्बद्ध अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण, संस्थाओं, अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर, में लागू होगा।
परिभाषाएं	3.	इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो — [1]{(क) ''प्रवेश तथा शुल्क विनियमन समिति'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के अन्तर्गत, अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर, निजी संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन तथा शुल्क के निर्धारण तथा विनियमन के लिए गठित समिति से है; (ख) ''उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी'' का तात्पर्य समय—समय पर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा परिभाषित स्थायी निवासी से है; (ग) ''कामन काउन्सिलिंग'' का तात्पर्य आवेदकों द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा में अर्जित योग्यता तथा उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर आवेदकों को एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से सीटों के आवंटन से है; (घ) ''कामन प्रवेश परीक्षा'' का तात्पर्य एक विशिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए आवेदकों की योग्यता के निर्धारण हेतु आयोजित लिखित परीक्षा अथवा एक से अधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त परीक्षा से है; (ङ) [1]{***}; (च) ''शुल्क'' का तात्पर्य सभी शुल्कों से है, जिसमें शिक्षण शुल्क तथा विकास शुल्क भी सम्मिलित है; (छ) ''सामान्य वर्ग की सीटें'' का तात्पर्य आरक्षित वर्ग की सीटों के अतिरिक्त अन्य सीटों से है; (ज) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है; (झ) ''सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्था'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा स्थापित/राज्य सरकार द्वारा सारयुक्त रूप से पोषित व्यावसायिक शिक्षण संस्था से है; (ञ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल से है; [1]{(ट) ''सरकारी सीट'' का तात्पर्य निजी संस्थानों की उतनी सीटों से है जितनी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायं; परन्तु यह कि ऐसी सीटें पाठ्यक्रम में कुल सीट के 50 प्रतिशत से अनधिक होगी।}

1.उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 3 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित/निरसित।

		[1]{(ठ) ''प्रबन्धन'' का तात्पर्य निजी संस्था को संचालित व नियंत्रित करने वाले किसी व्यक्ति अथवा निकाय से है, जिसे किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाय;} [1]{(ड) ''अल्पसंख्यक'' का तात्पर्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (अधिनियम संख्या 02 सन 2005) की धारा 2 के खण्ड (च) के अन्तर्गत अधिसूचित समुदाय से है;} [2]{(ड़)(ड़) ''अल्पसंख्यक संस्था'' का तात्पर्य किसी अल्पसंख्यक द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (अधिनियम संख्या 2 सन 2005) की धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत स्थापित और प्रशासित शैक्षिक संस्था अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अथवा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा इस रूप में घोषित संस्था से है;} (ढ) ''अनिवासी भारतीय'' का तात्पर्य उस अभ्यर्थी से है, जिसका जन्म भारतीय मूल के माता–पिता से हुआ हो तथा जो देश से बाहर रह रहा हो तथा जिसने भारत के बाहर समकक्ष अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण की हो; (ण) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) (अनुकूलन एवं उपान्तरण)} आदेश 2001 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों से है; [3]{(त) ''निजी संस्थान'' से तात्पर्य अनानुदानित निजी व्यावसायिक उच्च शिक्षण संस्थानों, जिन पर यह अधिनियम लागू है, से है; (थ) ''व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम'' का तात्पर्य डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र, जिसे किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाय, प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के रूप में अधिसूचित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों से है; [3]{(द) {***}; (ध) ''अर्हता परीक्षा'' का तात्पर्य उस परीक्षा से है, जो विहित की जाय; [3]{(न) ''आरक्षित सीट'' का तात्पर्य निजी संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षित सीटों से है; (प) ''स्वीकृत प्रवेश क्षमता'' का तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षण संस्था में अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश के लिए स्वीकृत विद्यार्थियों की कुल सीटों की संख्या से है; (फ) ''राज्य पोषित विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य राज्य विधायिका के अधिनियम तथा राज्य सरकार द्वारा पोषित, स्थापित तथा निगमित विश्वविद्यालय से है; (ब) ''राज्य विधायिका'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड की विधान सभा से है; (भ) ''अनानुदानित संस्थान'' का तात्पर्य ऐसे निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थान से है, जो अनुदानित संस्था अथवा अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है; (म) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य नियमानुसार घोषित विश्वविद्यालय से है; [4]{(य) ''प्राधिकरण'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण से है; (र) ''अनुसूचित जाति'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट जाति से है; (ल) ''अनूसचित जनजाति'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट जनजाति से है।}

1.उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 3 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 3 (दो) द्वारा अंतःस्थापित।

3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 3 (तीन) द्वारा प्रतिस्थापित/निरसित।

4. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 3 (चार) द्वारा अंतःस्थापित।

		अध्याय–2 **प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति**
संरचना अयोग्यता तथा कार्य	4.	[1]{(1) राज्य सरकार प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (क) राज्य सरकार द्वारा नामित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश – अध्यक्ष (ख) प्रमुख सचिव / सचिव, चिकित्सा शिक्षा (पदेन) – सदस्य (ग) प्रमुख सचिव / सचिव, तकनीकी शिक्षा (पदेन) – सदस्य (घ) प्रमुख सचिव / सचिव, न्याय (पदेन) – सदस्य (ङ) राज्य सरकार द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव वे अनिम्न स्तर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो – सदस्य (च) राज्यपाल द्वारा नामित राज्य विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व कुलपति – सदस्य (छ) राज्य सरकार द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद् – सदस्य (ज) राज्य सरकार द्वारा नामित नियमों में परिभाषित एक प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट – सदस्य (झ) प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा (पदेन) –सदस्य सचिव।} [2]{(2) समिति अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तिथि से 03 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक होगा; परन्तु यह कि प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल नामांकन की तिथि से 03 वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो तक होगा, तथा इससे पूर्व किसी भी कारण से समिति में रिक्ति उत्पन्न होने पर, राज्य सरकार रिक्ति उत्पन्न होने के तीन माह के भीतर उस रिक्ति की पूर्ति शेष कार्यकाल के लिए करेगी। (3) समिति के गठन में किसी त्रुटि अथवा केवल किसी रिक्ति के कारण समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं मानी जायेगी। [2]{(4) कोई भी व्यक्ति जो किसी निजी संस्थान से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध है, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य होने के योग्य नहीं होगा। [2]{(5) (एक) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी भी समय त्याग पत्र दे सकेगा। (दो) राज्य सरकार उपधारा (एक) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्तिः– (क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है, (ख) किसी अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अर्न्तग्रत है, सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डित किया जाता है, (ग) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है, (घ) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा अपने पद का किसी प्रकार दुरूपयोग किया गया है, जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना लोकहित के लिये हानिकारक हो गया हो अथवा अध्यक्ष या कोई सदस्य यदि कोई ऐसा कार्य करता है, जो राज्य सरकार के विचार में समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए अशोभनीय हो, तो उसे उक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा दिया जायेगा; परन्तु यह कि ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना राज्य सरकार द्वारा समिति से हटाया नहीं जाएगा।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2010 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

		(6) समिति की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति द्वारा सदस्यों में से किसी एक को विशेष बैठक की अध्यक्षता के लिये चुना जायेगा तथा समिति जिसे उचित समझे, स्वयं की प्रक्रिया अपना सकती है। (7) [1] {***} [1]{(8) प्रवेश के लिए समिति द्वारा प्रतिपादित नियमों के विरूद्ध किये गये प्रवेश की शिकायतें भी समिति द्वारा सुनी जायेंगी। संबंधित प्रबन्धन से प्राप्त प्रमाणों तथा स्पष्टीकरणों के पश्चात समिति यह निर्णय ले सकेगी कि प्रवेश की प्रतिपादित प्रक्रिया का उल्लंघन, निजी संस्थान द्वारा किया गया है अथवा नहीं। समिति उन पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगी। (9) समिति को अपने कार्यों के निष्पादन से संबंधी सभी मामलों, जो इस अधिनियम के प्राविधानों से असंगत न हो, में प्रक्रिया के निर्धारण की शक्ति प्राप्त होगी और इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नांकित मामलों में अन्वीक्षण के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद की सुनवाई के दौरान सिविल न्यायालय को प्राप्त, सभी शक्तियां उसे प्राप्त होंगी :– (क) किसी साक्षी को बुलाना एवं उपस्थिति हेतु बाध्य करना और शपथ लेकर उसका परीक्षण करना; (ख) किसी प्रपत्र की खोज एवं उसे प्रस्तुत करना; (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; (घ) साक्षी के परीक्षण हेतु आयोग गठित करना। [1]{(10) समिति अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को निजी संस्थानों हेतु सम्पादित प्रवेश प्रक्रिया की किसी भी प्रक्रम में निरीक्षण की शक्ति होगी, यदि समिति को विश्वास हो जाये कि निजी संस्थान हेतु सम्पादित प्रवेश प्रक्रिया विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के विरूद्ध है, तो समिति सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त संस्थान पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगी। (11) [1]{***} [1]{(12) समिति निजी संस्थानों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क निर्धारित करेगी। [1]{(13) (क) प्रत्येक निजी संस्थान द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रस्तावित शुल्क ढांचे को समिति के समक्ष सभी सुसंगत प्रपत्रों और लेखा पुस्तकों के साथ शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व शुल्क निर्धारण हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा; समिति समस्त प्रस्तुत अभिलेखों पर विचारोपरांत अधिकतम एक माह के भीतर शुल्क निर्धारण करेगी; व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर शुल्क निर्धारित नहीं कराये जाने की स्थिति में निजी संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया जायेगा। अतः निजी संस्थान के द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। [1]{(14) समिति द्वारा निर्धारित शुल्क निजी संस्थानों के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् संस्था शुल्क के पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र होगी। इस प्रकार निर्धारित शुल्क उस अभ्यर्थी पर लागू होगा जिसने संस्था में उस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लिया है तथा उस निजी संस्थान में उसका पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक उस शुल्क का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

1–उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित/निरसित।

		[1]{(15) समिति निजी संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित विषयों की जांच कर सकेगीः— (क) केपिटेशन शुल्क संग्रहण से संबंधित शिकायतें। (ख) निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाना। (ग) लाभार्जन। (घ) इस अधिनियम के किसी प्राविधान का उल्लंघन। उपर्युक्त सभी दशाओं से संबंधित प्रबन्धन से प्रमाण तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरान्त समिति निर्देश दे सकती है अथवा समुचित संस्तुतियां कर सकती है। जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त करना अथवा राज्य सरकार से समुचित कार्यवाही कर शास्ति आरोपित करना शामिल है। (16) राज्य सरकार समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक तथा सेवा की शर्तें अधिसूचित करेगी।
		अध्याय—3 **शुल्क निर्धारण**
शुल्क निर्धारण के कारक	5.	[2]{(1) निम्न को ध्यान में रखते हुए :— (क) निजी संस्थान की स्थिति; (ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रकृति एवं उसकी आवश्यकताए; (ग) भूमि एवं भवन की लागत; (घ) उपलब्ध आधारभूत ढॉचा; (ड.) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय; (च) व्यावसायिक संस्थान की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त अतिरिक्त राशि; (छ) कोई अन्य प्रासंगिक कारक, प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण समिति, विहित तरीके से निजी संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क अथवा शुल्कों का निर्धारण करेगी। (2) कोई भी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान, किसी भी नाम अथवा रूप में, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों से समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लेगी। [2]{(3) समिति विभिन्न संस्थाओं में संचालित व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के संदर्भ में, उपर्युक्त कारकों के अनुसार भिन्न—भिन्न शुल्क निर्धारित कर सकती है तथा यह समान प्रकार की संस्थाओं को वृहत् समूह में रख सकेगीः परन्तु यह कि समिति अप्रवासी भारतीय छात्रों के प्रवेश हेतु निजी संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले उच्चतर शुल्क को नियत कर सकेगी। (4) प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति किसी भी शुल्क अथवा शुल्कों के निर्धारण से पूर्व संस्था को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगी।
		अध्याय—4 **प्रवेश**
अर्हता	6.	[3]{ किसी भी अभ्यर्थी को किसी निजी संस्था में, प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह विहित शैक्षणिक अथवा समकक्ष योग्यता धारित न करता होः परन्तु यह कि ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं, को निजी संस्थान में स्वीकृत कुल प्रवेश क्षमता के 50 प्रतिशत सीटों पर ही प्रवेश हेतु पात्रता होगी।

1—उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2—उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3—उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

सरकारी सीटों का आवंटन	7.	[1]{सभी सरकारी सीटें कॉमन प्रवेश परीक्षा एवं कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से भरी जायेंगी।
अन्य सीटों का आवंटन	8.	[2]{(1) निजी संस्थान में सरकारी सीटों के अतिरिक्त सभी सीटें कॉमन प्रवेश परीक्षा तथा अलग कॉमन काउन्सिलिंग द्वारा भरी जायेंगी; (2) 10 प्रतिशत तक की सीटों को अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है। (3) [2]{***}
सीटों का आरक्षण	9.	[3]{ निजी संस्थानों द्वारा कुल स्वीकृत सीटों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से सीटों का आरक्षण प्रदान किया जायेगा; परन्तु यह कि निजी संस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित सीटें अभ्यर्थियों की अनुलब्धता के कारण रिक्त रह जाती हैं, तो उन्हें कॉमन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त वरीयता क्रम में प्रतीक्षा सूची के आधार पर भरा जाएगा; परन्तु यह और कि यदि फिर भी सीटें रिक्त रह जाती है तो पुनः आवेदन आमंत्रित करके अर्हता परीक्षा की मेरिट के आधार पर उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी; परन्तु यह और भी कि यदि इसके बाद भी सीटें रिक्त रह जाती है तो इन सीटों को इस अधिनियम की धारा 8 में वर्णित गैर आरक्षित श्रेणी के छात्रों के वरियता क्रम एवं प्रतिक्षा सूची के आधार पर भरा जा सकेगा।}
रिक्त सीटों का आवंटन	10.	[4]{आरक्षित सीटों को छोड़कर अन्य सरकारी, सामान्य सीटें कॉमन प्रवेश परीक्षा तथा कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से छात्रों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रह जाने की दशा में कॉमन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त वरीयता क्रम एवं प्रतिक्षा सूची के आधार पर भरी जाएंगी; परन्तु यह कि निजी संस्थान की सीट अथवा सीटें इसके बाद भी अभ्यर्थियों की अनुलब्धता के कारण रिक्त रह जाती हैं, तो पुनः आवेदन आमंत्रित करके अर्हता परीक्षा की मेरिट के आधार पर उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।}
अधिनियम के उल्लंघन में किये गये प्रवेश का अवैध होना	11.	इस अधिनियम के अध्यधीन बनाये गये नियमों के प्राविधानों के उल्लंघन में किये गये प्रवेश अवैध होंगे।

1–उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
2–उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित/निरसित।
3–उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
4–उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

		अध्याय–5 **प्रकीर्ण**
अपील	12.	[1]{(1) राज्य सरकार द्वारा अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगेः– (क) राज्य सरकार द्वारा नामित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश –अध्यक्ष (ख) राज्य सरकार द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त अधिकारी जो कि मुख्य सचिव **अथवा** समकक्ष स्तर से कम न हो –सदस्य (ग)राज्यपाल द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् –सदस्य कोई व्यक्ति अथवा निजी संस्थान प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण समिति के आदेश से सहमत नहीं होते हैं तो आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर अपील कर सकते हैं (2) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्राधिकरण अस्तित्व में आ जायेगी तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि हेतु अथवा किसी नामित सदस्य द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पूर्व में घटित हो, होगा; परन्तु यह कि प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल नामांकन की तिथि से 03 वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पूर्व में घटित हो, होगा तथा इससे पूर्व किसी भी कारण से प्राधिकरण में रिक्ति उत्पन्न होने पर, राज्य सरकार रिक्ति उत्पन्न होने के तीन माह के भीतर उस रिक्ति की पूर्ति शेष कार्यकाल के लिए करेगी} [2]{(3) अपीलीय प्राधिकरण के गठन में किसी त्रुटि अथवा केवल किसी रिक्ति के कारण प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं मानी जायेगी। (4) कोई भी व्यक्ति जो किसी निजी संस्थान से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध है, प्राधिकरण का अध्यक्ष अथवा सदस्य होने के योग्य नहीं होगा। (5)**(एक**) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित सहस्ताक्षरित पत्र द्वारा यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी समय पर त्याग पत्र दे सकता है। (**दो**) राज्य सरकार उपधारा (एक) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्तिः– (क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है, (ख) किसी अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अर्न्तग्रत है, सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डित किया जाता है, (ग) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है, (घ) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा अपने पद का किसी प्रकार दुरूपयोग किया गया है, जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना लोकहित के लिये हानिकारक हो गया हो अथवा अध्यक्ष या कोई सदस्य यदि कोई ऐसा कार्य करता है, जो राज्य सरकार के विचार में प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के लिए अशोभनीय हो, तो उसे उक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा दिया जायेगा; परन्तु यह कि ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अपीलीय प्राधिकरण से हटाया नहीं जायेगा। (6) अपीलीय प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्राधिकरण द्वारा सदस्यों में से किसी एक को विशेष बैठक की अध्यक्षता के लिये चुना जायेगा तथा प्राधिकरण जैसे उचित समझे स्वयं की प्रक्रिया अपना सकती है।}

1–उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 11(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
2– उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 11(दो) द्वारा अंतःस्थापित।

दण्ड	13.	[1]{यदि कोई व्यक्ति अथवा निजी संस्थान इस अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करती है, तो प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति अथवा अपीलीय प्राधिकरण ऐसी संस्था/व्यक्ति के विरूद्ध निम्न में से एक या अधिक कार्रवाइयां कर सकेगीः–
		(क) जिन संवैधानिक निकाय से संस्था सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त हों उसकी सम्बद्धता समाप्त किये जाने के आदेश जारी कर सकती है अथवा संबंधित समुचित प्राधिकारी को संस्था की मान्यता समाप्त करने का आदेश दे सकेगी; (ख) संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय अथवा परिषद् द्वारा जो उपाधियां, डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र संबंधित संस्थाओं को जारी किये जाते हैं, को इस अधिनियम के विरूद्ध किये गये छात्रों के प्रवेश तथा पंजीकरण को निरस्त करने के निर्देश दिये जा सकेंगे ; (ग) इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन न किये जाने की दशा में जिन छात्रों को गलत रूप से वंचित रखा गया हो, को प्रवेश देने हेतु निर्देश दिये जा सकेंगे ; (घ) इस अधिनियम के प्रत्येक उल्लंघन के लिये वित्तीय शास्तियां लगायी जायेंगी। यह धनराशि प्रति उल्लंघन के लिए दस लाख रुपये से कम नहीं होगी तथा जिसकी राज्य सरकार के द्वारा भू–राजस्व के रूप में वसूली की जा सकेगी; (ङ) संबंधित निजी संस्थान द्वारा किसी व्यक्ति से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किये जाने की दशा में प्रति व्यक्ति/छात्र उल्लंघन पर अधिक वसूल की गई धनराशि के पांच से दस गुना जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। दण्ड की न्यूनतम धनराशि दस लाख रूपये होगी; (च) संस्था को, किसी छात्र को, ऐसे समय के भीतर, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक प्राप्त की गई कोई राशि अथवा कैपिटेशन फीस के रूप में प्राप्त की गई कोई राशि या मुनाफे के लिये प्राप्त की गई कोई राशि वापस करने का आदेश दे सकेगीः परन्तु यह कि यदि संस्था छात्र को, विनिर्दिष्ट समय के भीतर राशि वापस करने में असफल रहती है तो वह, उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज सहित, भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किये जाने योग्य होगी और छात्र को संदत्त की जाएगी; (छ) संस्था को, ऐसी कालावधि के लिये, जैसी कि वह उचित समझे, किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश रोकने या स्वीकृत अन्तर्ग्रहण को कम करने का आदेश दे सकेगी; (ज) उपरोक्त निर्देश तथा आदेश निजी संस्थानों पर बाध्यकारी होगें। उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति अथवा निजी संस्थान को प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति अथवा अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा।}
नियमों का अध्यारोही प्रभाव	14.	[2]{इस अधिनियम के प्राविधान किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव रखेगें। }
नियम बनाने की शक्ति	15.	राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु भूतलक्षी प्रभाव से नियम बना सकती है।

1–उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

2– उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

विधायिका के समक्ष रखे जाने वाले नियम	16.		इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा, जिसमें यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान मण्डल उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाय तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान मण्डल सहमत हो जाय कि वह नियम नहीं बनाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जायेगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कठिनाईयों के निवारण की शक्ति	17.	[1]{(1) (2)	यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो, राज्य सरकार अधिसूचना या आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों इस धारा के अतंर्गत दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।}
सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण	18.		कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई अधिकारी अथवा प्रवेश समिति के सदस्यों तथा शुल्क नियामक समिति और अपीलीय प्राधिकारी के विरूद्ध संस्थित नहीं होगी।
संकमणकालीन उपबन्ध	19.		जब तक कि इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति का गठन तथा स्थापना नहीं की जाती है तब तक मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजूकेशन प्रति कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति अस्तित्व में रहकर निरन्तर कार्य करती रहेंगी। ये समितियां इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकेगी।
निरसन और व्यावृत्ति	20.	(1) (2)	उत्तराखण्ड गैर अल्पसंख्यक अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अध्यादेश, 2006 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

....

1–उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2018 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

THE UTTARAKHAND UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) ACT, 2006

[Uttarakhand Act No. 14 of 2006]

to provide for regulation of admission and determination of fee in professional educational institutions in the State of Uttarakhand and to provide for reservation of seats to persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the seats in professional educational institutions.

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty Seven year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislative Assembly as follows:-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement	1-	(1) This Act may be called the Uttarakhand Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006. (2) It extends to the whole of Uttarakhand. (3) It shall come into force at once.
Applicability	2-	This Act applies to Unaided private professional educational institutions affiliated to State Funded Universities, Councils, Boards or other bodies established under Law, excluding minority institutions.
Definitions	3-	In this Act, unless the context otherwise requires-- (a) [1]{"Admission and Fee Regulatory Committee" means the committee constituted by the State Government under section 4 for regulating the admissions, and determination and regulation of fee of private institutions excluding minority institutions; (b) "Permanent residents of Uttarakhand" means permanent residents as defined by the Government of Uttarakhand from time to time; (c) "Common Counseling" means the allotment of seats through a single window procedure to the candidates based on merit obtained in the Common Entrance Test and options given by the candidates; (d) "Common Entrance Test" means the written test, conducted for determination of merit of the candidates for a particular professional course or combined test for more than one professional course; (e) [1]{***} (f) "Fee" means all fees including tuition fee and development charges; (g) "General Category Seats" means the seats other than the reserved seats; (h) "Government" means the Government of Uttarakhand; (i) "Government/Government Aided Professional Institution" means a professional institution established/ maintained or substantially owned by the State Government;

1-Subs/repeal by section 3(i) of UK Act no 26 of 2018.

(j) "Governor" means Governor of the State of Uttarakhand;

(k) [1]{" Government seats" means such seats of private institutions as notified by the State Government;

Provided that such seats shall not exceed 50% of total seats in the course;

(l) [1]{"Management" means any person or body by whatever name called, managing or controlling the private institutions;

(m) [1]{"Minority" means community notified under clause (f) of section 2 of National Commission for Minority Educational Institutions Act 2004 (Act No 2 year 2005);

[2][(mm) "Minority Institution" means any institution established and managed by any minority person after obtaining no objection under subsection 4 of section 10 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act 2004 (Act No 2 year 2005) or any institution declared by authority established by State Government or National Commission for Minority Education Institution for this purpose;]

(n) "Non-resident Indian" means a candidate born to a parent of Indian origin and residing outside the country and who has passed the qualifying equivalent examination outside India;

(o) "Other Backward Classes" means the backward classes of citizens specified in Schedule 1 of Uttarakhand the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (Adaptation and Modification) Order, 2001;

(p) [3]{"Private Institutions" means Unaided private professional higher educational institutions on which this Act applies;

(q) "Professional Educational Courses" means course(s) of study notified as "professional course (s)" for the purpose of this act by the State Government leading to the award of a Degree, Diploma or Certificate by whatever name called;

(r) [3]{***}

(s) "Qualifying examination" means an examination as may be prescribed;

(t) [3]{"Reserved Seats" means the seats notified by the State Government as reserved in private institutions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes;}

(u) "Sanctioned intake" means and implies the total number of seats sanctioned by the competent authority for admitting students in each course of study in a professional educational institution;

(v) "State Funded University" means a university established or incorporated by an Act of the State Legislature and funded by the State Government;

1-Subs. by section 3(i) of UK Act no 26 of 2018.
2- Ins. by section 3(ii) of UK Act no 26 of 2018.
3-Subs/repeal by section 3(iii) of UK Act no 26 of 2018.

		(w) "State Legislature" means Vidhan Sabha of Uttarakhand; (x) "Unaided Institution" means a private professional educational institution, not being an aided institution or minority institution; (y) "University" means a University so declared under Law; (z) [2]{ "Authority" means The Appellate Authority constituted by the State Government under section 12 of the Act; (za) "Scheduled Caste" means any caste specified as Scheduled Caste with respect to the State of Uttarakhand under Article 341of the Constitution; (zb) Scheduled Tribe" means any tribe specified as scheduled tribe with respect to the State of Uttarakhand under Article 342 of the Constitution.}
		CHAPTER-ll **ADMISSION AND FEE REGULATORY COMMITTEE**
Composition, Disqualification and functions	4-	[(1) The State Government shall constitute an Admission and Fee Regulatory Committee comprising:-- (a) Retired Judge of High Court of nominated by the State Government - Chairman (b) Principal Secretary/Secretary, Medical Education (Ex-Officio) - Member (c) Principal Secretary/Secretary, Technical Education (Ex-Officio) - Member (d) Principal Secretary/Secretary, Law (Ex-Officio) - Member (e) A Retired Government Officer retired from a post not below the rank of Secretary to the State Government nominated by the State Government - Member (f) One Ex-Vice- Chancellor of the State University nominated by the Governor - Member (g) Two Eminent Educationist nominated by the State Government - Member (h) A renowned Chartered Accountant as defined in the rules nominated by the State Government - Member (i) Principal Secretary/Secretary, Higher Education (Ex-Officio) -Member Secretary.][1]

1.Substituted by section 3 of Uttarakhand Act No. 20 of 2010.
2- Inserted by section 3(iv) of Uttarakhand Act no 26 of 2018.

		[1]{(2) The committee shall come into force from the date of its notification and the term of office of the nominated members shall be 03 years from the date of nomination or until they attain 65 years of age, whichever is earlier; Provided that the term of office of the Chairman of the The Admission and Fee Regulatory Committee shall be for a period of three years or until the attainment of age of 68 years whichever is earlier and in case of any vacancy arising earlier in the Committee, for any reasons, the State Government shall fill such vacancy, not later three months from the date of occurance vacancy, for the remainder of the term. (3) No act or proceeding of the Committee shall be deemed to be invalid by the reason merely of any vacancy in, or any defect in the constitution of the committee. [1]{(4) No person, who is associated with any private institution in any manner, shall be eligible for being as Chairman or a member of the Admission and Fee Regulatory Committee. [1]{(5) (i) The Chairman or a Member may, by writing under his hand addressed to the State Government, resign from the office of the Chairman or a Member, as the case may be, at any time. (ii) The State Government shall remove a person from the office of the Chairman or a Member referred to in sub-section(i) if the person :- (a) becomes an undischarged insolvent; (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; (c) refuses to act or becomes incapable of acting; (d) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of the Chairman or any Member as to render that person's Continuance in office detrimental to the public interest or the Chairman or any Member of the Committee shall be removed, if he performs any act, which in the opinion of State Government is unbecoming of Chairman or member of the Committee; Provided that, no such Chairman or any member shall be removed by the State Government without giving him an opportunity of being heard. (6) The Chairman shall preside over the meeting of the committee and in absence of Chairman the committee shall choose one of its members for chairing that particular meeting and the Committee may adopt its own procedure as it deems fit.

1-Subs. by section 4 of UK Act no 26 of 2018.

(7) [1]{***}

{[1](8) The Committee shall also hear complaints with regard to admission in contravention of the procedure laid down by the Committee. The Committee, after obtaining the evidence and explanation from the management concerned may take decision that the private institution has violated the procedure prescribed for admission or not. The committee may impose penalties.

(9) The Committee shall have the power to regulate its own procedure not in consistent with the provisions of this Act in all matters arising out of the discharge of its functions, and shall, for the purpose of making any inquiry under this Act, have all the powers of a civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit, in respect of the following matters, namely:-

(a) Summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath.

(b) The discovery and production of any document.

(c) The reception of evidence on affidavits.

(d) The issuing of any commission for the examination of witness.

[1]{(10) The committee or any officer authorized by it shall have power to inspect at any stage of the process of admission. If the committee arrives at the opinion that the admission process conducted by the private institution contravenes the specified procedure, the committee, after giving an opportunity of being heard may, penalize the institution.

(11) [1]{***}

[1]{(12) The Committee shall determine the fees for admission to professional courses of private institutions.

[1]{(13) Before the commencement of the academic year, it shall be compulsory for every private institution to place before the committee the proposed fee structure of professional courses with all relevant documents and books of accounts for determination of fees.

The committee after considering all the documents placed before it, shall determine the fee within one month maximum.

In case the proposal for fixation of fee for professional courses is not placed before the committee, the private institution shall not run the course. Therefore the private institution shall not give admission in such course.

[1]{(14) The fee determined by the committee shall be applicable on the private institution for a period of three years. After the expiry of the period of three years, the institution would be at liberty to apply for revision. The fee so determined shall be applicable to a candidate who is admitted to an institution in that academic year and that fees shall not be revised till the completion of his/her course in the said private institution.

1-Subs./repeal by section 4 of UK Act no 26 of 2018.

		[1]{(15) The committee may enquire the following matters with regard to private institutions :- (a) Complaints with regard to collection of capitation fee. (b) Fee charged in excess of the fee determined. (c) Profiteering. (d) Violation of any of the provisions of this Act. In all such cases, the committee, after obtaining evidence and the explanations from the management concerned may issue directions or forward appropriate recommendations including withdrawal of affiliation to concerned university or imposition of penalty by the State Government after necessary action.} (16) The State Government shall notify the remuneration and terms and conditions of service of the members of the committee.
		CHAPTER-III **FIXATION OF FEE**
Factors for Determination of Fee	5-	[2]{(1) Having regard to -- (a) The location of the private institute; (b) The nature and requirements of the professional courses; (c) The cost of land and building, (d) The available infrastructure, (e) The expenditure on administration and maintenance; (f) A reasonable surplus required for growth and development of the professional institution, (g) Any other relevant factor; The Admission and Fee Regulatory Committee shall determine, in the manner prescribed the fee or fees to be charged by the private institutions. (2) No professional educational institution shall collect any fee by whatever name or form called from the candidate for admission to professional educational courses over and above the fee determined by the Committee. [2]{(3) The Committee may determine different fees in respect of different courses of professional education being offered at different institutions depending upon the factors as mentioned above and it may place similarity placed institutions in broad groups; Provided that the committee may fix higher fee to be collected by the private institutions from the non-resident Indian students for admission. (4) The Admission and Fee Regulatory Committee shall give the institution an opportunity of being heard before fixing any fee or fees.

1-Subs./repeal by section 4 of UK Act no 26 of 2018.
2- Subs. by section 5 of UK Act no 26 of 2018.

		CHAPTER-IV **ADMISSIONS**
Eligibility	6-	[1]{No candidate shall be admitted to a private institution unless the candidate possesses such educational or equivalent qualification as may be prescribed; Provided that the candidates who are not permanent residents of the State of Uttarakhand shall be eligible for admission only to fifty percent seats out of the total sanctioned intake in Private Institution.}
Allocation of Government seats	7-	[2]{All Government seats shall be filled through a common entrance test and common counseling.}
Allocation of Other seats	8-	[3]{(1) In an private institution, all seats other than the Government seats shall be filled through a Common Entrance Test and other common counseling.} (2) Seats upto ten percent may be filled from amongst the non-resident Indian candidates. (3) {***}.
Reservation of seats	9-	[4]{Private institution shall reserve seats for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes from out of the total sanctioned intake seats in such a manner as notified by the State Government; Provided that where the seats reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in private institution are left unfilled due to non-availability of the candidates, the same shall be filled from the candidates belonging to the same category appeared in common entrance test in order of merit based on waiting list; Provided further that if seats remain unfilled even thereafter, the same shall be filled by inviting applications again from the candidates of same category based on merit of Qualifying Examination; Provided also that if seats of a private institution remain unfilled even thereafter due to non availability of candidates, such seats shall be filled from the students belonging to non-reserved categories in the order of merit based on waiting list, described in section 8 of this Act.}

1- Subs. by section 6 of UK Act no 26 of 2018.
2- Subs. by section 7 of UK Act no 26 of 2018.
3- Subs/repeal by section 8of UK Act no 26 of 2018.
4- Subs by section 9 of UK Act no 26 of 2018

Allocation of unfilled seats	10-	[1]{In case seats other than reserved seats, whether government and General seats or otherwise, remain unfilled due to non-availability of candidates through common entrance test and common counseling, such unfilled seats shall be filled from the candidates appeared in common entrance test in the order of merit based on waiting list; Provided that if the seat or seats of a private institution remain unfilled even thereafter due to non-availability of candidates, the same shall be filed from the candidates of same category based on merit of Qualifying Examination by inviting applications again.}
invalidation of admissions made in violation of the Act	11-	Any admission made in violation of the provisions of this Act or the rules made thereunder shall be invalid.
		CHAPTER-V **MISCEILANEOUS**
Appeals	12-	[2]{(1) The State Government shall appoint an Appellate Authority which shall consist of the following :- (a) A retired judge of High Court nominated by the State Government. (b) One Retired Government officer retired from a post not below the rank of Chief Secretary or equivalent nominated by the State Government; (c) One Eminent Educationist to be nominated by the Governor. A person or private institution aggrieved by the order of Admission and Fee Regulatory Committee may file an appeal within a period of one month of receiving such order. (2) The Authority shall come into existence from the date of its notification and the office of the nominated members shall be for a period of three years or until they attain the age of sixty-five years whichever is earlier; Provided that the office of the Chairman of the Authority shall be for a period of three years or until the attainment of age of 68 years whichever is earlier and in case of any vacancy arising earlier in the Authority, for any reasons, the State Government shall fill such vacancy, not later three month from the date of vacancy, for the remainder of the term.}

----

1. Subs by section 10 of UK Act no 26 of 2018.
2. Subs by section 11(i) of UK Act no 26 of 2018.

		[1]{(3) No act or proceeding of the Appellate Authority shall be deemed to be invalid by the reason merely of any vacancy in or any defect in the constitution of the Authority. (4) No person who is associated with any private institution in any manner shall be eligible for being as Chairman or a Member of the Authority. (5) (1) The Chairman or a Member may, by writing under his hand addressed to the State Government, resign from the office of the Chairman or, as the case may be, of the Member at any time. (2) The State Government shall remove a person from the office of the Chairman or a Member referred to in sub-section(1) if the person :- (a) becomes an undischarged insolvent; (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; (c) refuses to act or becomes incapable of acting; (d) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of the Chairman or any Member as to render that person's Continuance in office detrimental to the public interest or the Chairman or any Member of the Authority shall be removed, if he performs any act, which in the opinion of State Government is unbecoming of Chairman or Member of the Authority; Provided that, no such Chairman or any Member shall be removed by the State Government without giving him an opportunity of being heard. (6) The Chairman shall preside over the meeting of the Authority and in absence of Chairman, the Authority shall choose one of its members for chairing that particular meeting and the Authority may adopt its own procedure as it deems fit.}
Penalty	13-	[2]{If any person or private institution violates the provisions of this Act, the Admission and Fee Regulatory Committee or Appellate Authority may take one or more of the following action against such institution/person -- (a) Direct the withdrawal of affiliation of such institution from the statutory body with which such institution is affiliated or recognized or direct the appropriate authority to withdraw the recognition of such institution; (b) Direct the statutory body, university or board which grants degrees, diplomas or certificates to such institution to cancel the admission and registration of such students admitted in violation of this Act; (c) Direct the institution to admit any students to whom admission has wrongly been denied due to non-compliance of the provisions of this Act; (d) Impose financial penalties for each violation of the Act which shall not be less than Rupees ten lakh per violation and which shall be recovered by the State Government as arrears of land revenue; (e) Impose penalty in case of charging fee in excess of prescribed fee by the concerned private institution which can be upto five to ten times of excess fee charged per person/student. The minimum amount of penalty shall be 10 lakh;

1-Ins. by section 11(ii) of UK Act no 26 of 2018.

2-Subs. by section 12 of UK Act no 26 of 2018.

		(f) Order the institution to refund to a student within such time as specified in the order, any amount received by it in excess of the fees fixed by the Committee or any amount received by way of capitation fee or any amount received for profiteering; (g) Order the institution to stop admission or reduce the sanctioned intake in any professional course for such period as it may deem fit; (h) All such directions or orders shall be binding on private institutions: Provided that, before any action is taken as mentioned above, a reasonable opportunity of hearing shall be provided to such person or institution by the admission and fee regulatory committee and or appellate authority.
Act to have overriding effect	14-	[1]{The provisions of this Act shall have overriding effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other Act.}
Power to make Rules	15-	The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules retrospectively for carrying out the purposes of this Act.
Rules to be laid before Legislature	16-	Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before State Legislature, while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions; and if, before the expiry of the session immediately following the session of the successive sessions aforesaid, if House agrees in making any modification in the rule or agree that the rule should not be made; the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
Power to remove difficulties	17-	[2]{(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification or order, make such provisions which are not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to be necessary or expedient, for removing the difficulties. (2) Every Order made under this section shall, as soon as may after it is made, be laid before State Legislative Assembly.}
Protection of action taken in good faith	18-	No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government or the members of the admission and fee regulatory committee and the appellate authority, for anything, which is in good faith done or intended to be done under this Act.
Transitory provisions	19-	Till the admission and fee regulatory committee under section 4 of this Act is constituted and established the committees constituted by the State Government under Hon'ble Supreme Court Judgment in Islamic Academy of Education and others Vs State of Kamataka shall continue to be in existence and shall remain functional. These committees may exercise all or any of the powers and responsibilities conferred under this Act.

1-Subs. by section 13 of UK Act no. 26 of 2018.

2-Subs. by section 14 of UK Act no. 26 of 2018.

Repeal and Saving	20-	(1) The Uttarakhand Non-Minority Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Ordinance, 2006, is hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.